FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ जिला चूरू

जैसाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमां 98 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
15/7/21	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी जैसाराम पुत्र खीवांराम जाति कुम्हार निवासी बैरासर छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमिं खाता सं. 9. ख0नं0 122, 40, कुल तादादी 5.25 है0 वाके रोही बैरासर छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम अर्जन उर्फ जैसाराम भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम जैसाराम दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।	
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 9 ख0नं0 122, 40, कुल तादादी 5.25 है0 वाके रोही बैरासर छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम अर्जन उर्फ जैसाराम के स्थान पर सही नाम जैसाराम शुद्ध किया जावे। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।	
	मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अधिकारी